



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 9 अप्रैल, 2018
चैत्र 19, शक सम्वत् 1940

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 861/79-वि-1-18-2(क)-6-2018
लखनऊ, 9 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018)

[भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]
उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क निर्धारण किये जाने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध किये जाने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार, लागू
किया जाना और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है;

(3) यह धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन परिभाषित परिषदों यथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेकलॉरेंट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो। उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होगा। यह स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

(4) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2-इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सम्बद्धता" का तात्पर्य किसी परिषद के अनुमोदित विद्यालयों की सूची के मध्य मान्यता प्राप्त किसी ऐसे विद्यालय के नामांकन से है जो कक्षा-पाँच, आठ, दस और या कक्षा-बारह तक के विहित/अनुमोदित पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए हो और साथ ही साथ ऐसे विद्यालयों के नामांकन से है जो परिषद की परीक्षाओं के लिए विहित पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रों को तैयार करते हैं;

(ख) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य सम्बन्धित परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने और उसकी समाप्ति से है;

(ग) "समुचित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित मण्डलीय शुल्क नियामक समिति से है;

(घ) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेकलॉरेंट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य परिषद् से है;

(ङ) "जिला विद्यालय निरीक्षक" का तात्पर्य राज्य के प्रत्येक जिले में यथाविहित रीति से नियुक्त किसी अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा के जिला विद्यालय निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है;

(च) "मण्डलीय शुल्क नियामक समिति" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित मण्डलीय शुल्क नियामक समिति से है;

(छ) "शैक्षिक प्रयोजनों" का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा कृत किसी ऐसे शैक्षिक क्रियाकलाप से है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या सृजन, पेटेंट, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलाप, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मचारी वर्ग उन्नयन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उच्चिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलाप और खेल संबंधित अवसंरचना और उपकरण तथा नवीन शाखा एवं नवीन विद्यालय स्थापना संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

(ज) "पात्र शैक्षिक इकाई" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित न्यास या न्यासों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों या राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित करने वाले, उनका प्रबन्ध करने वाले या अनुरक्षित करने वाले किसी परिषद् द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी अन्य इकाई से है;

(झ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ञ) "संरक्षक" का तात्पर्य अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम किसी छात्र के अभिभावक द्वारा संरक्षक के रूप में विद्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(ट) "विद्यालय का प्रधान" का तात्पर्य प्रधानाचार्य या यथास्थिति मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रशासन तथा शैक्षिक मामलों का प्रबन्ध करने हेतु पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा अभिहित मान्यता प्राप्त विद्यालय के किसी अन्य नाम से नामित व्यक्ति से है;

(ठ) "संयुक्त शिक्षा निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के मण्डल स्तर के अधिकारी से है;

(ड) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या किसी जिला पंचायत द्वारा अधिसूचित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(ढ) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति से है, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिसे विद्यालय के क्रियाकलाप सौंपे गये हों और ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसे किसी भी नाम या पदनाम से पुकारा जाये, जिसे ऐसे क्रियाकलाप सौंपे गये हों और इसके अन्तर्गत विद्यालय से किसी भी रीति से संबद्ध न्यास या कम्पनी भी सम्मिलित है;

(ण) "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था से है जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड (1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो;

(त) "अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 के अधीन निर्मित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन और अन्य परिषदों के लिए विद्यालय द्वारा विद्यालय के अभिभावकों और अध्यापकों के साथ गठित अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन से है;

(थ) "अनुज्ञात शुल्क वृद्धि" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से है;

(द) "लोक निर्माण विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग से है;

(ध) "मान्यता प्राप्त विद्यालय" का तात्पर्य राज्य में संचालन हेतु किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से है;

(न) "मान्यता" का तात्पर्य राज्य में किसी विद्यालय के संचालन के लिए किसी परिषद् द्वारा प्रदान किये गये ऐसे औपचारिक प्रमाणन से है कि वह विद्यालय संचालित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप हो;

(प) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय" का तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने वाली ऐसी किसी संस्था से है, जिसमें ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो के लिए प्रमुख संस्था संबंधी व्ययों का वहन, ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वयं किया जाता हो और/या विद्यालय निधियों/ राजस्व से या अभिदानों विद्यालय के सम्पत्ति पर किन्हीं विल्लगनों का सृजन करके प्राप्त ऋण सहित ऋण लेने के माध्यम से किया जाता हो;

(फ) "विद्यालय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(एक) प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाला पूर्व प्राथमिक विद्यालय यथा नर्सरी या किन्डरगार्टन; या

(दो) कक्षा एक से पाँच (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला प्राथमिक विद्यालय; या

(तीन) कक्षा छः से आठ (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला उच्च प्राथमिक विद्यालय; या

(चार) कक्षा नौ एवं दस की शिक्षा प्रदान करने वाला हाईस्कूल; या

(पाँच) कक्षा ग्यारह एवं बारह की शिक्षा प्रदान करने वाला इण्टरमीडिएट कालेज;

जो किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा प्रबन्धकृत हो और किसी परिषद् से स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संबद्ध हो :

परन्तु जहाँ ऐसा विद्यालय प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाले प्राथमिक विद्यालय के रूप में एकल रूप में स्थित आधार पर प्रचालित हो, वहाँ वह इस अध्यादेश के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आयेगा,

(ब) "विद्यालय सम्पत्ति" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त विद्यालय या पात्र शैक्षिक इकाई के परिसर के अन्तर्गत उससे संबंधित या उसके कब्जाधीन और/या संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालय से संबंधित मूर्त या अमूर्त चल और अचल सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकारों एवं हितों से है और जिसमें भूमि भवन और इसके अनुलग्नक खेल मैदान, छात्रावास, उपस्कर, पुस्तकें, साधित्र, नक्शे, बौद्धिक सम्पदा, उपकरण, बर्तन, नगदी, संरक्षित निधियाँ, निवेश एवं बैंक अधिशेष सम्मिलित है;

(भ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(म) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों के राज्य अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकारी से है।

अध्याय—दो

विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क

शुल्क एवं निधि

3—(1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अन्य बातों के साथ-साथ अपने संचालन संबंधित व्ययों की पूर्ति करने, सुविधाओं में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने तथा अवसंचरना का विस्तार करने छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने और एक ही पात्र शैक्षिक इकाई के प्रबन्धन के अधीन नवीन शाखा या नवीन विद्यालय की स्थापना सहित शैक्षिक प्रयोजनों के विकास हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले युक्तियुक्त अधिशेष जनित करने के लिए तदनुरूप भिन्न-भिन्न कक्षाओं, श्रेणियों/विद्यालयीय स्तरों के लिए धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन अपनी शुल्क संरचना अवधारित करना होगा।

(2) किसी विद्यालय में शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी।

(3) प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा:—

(क) सम्भावित शुल्क संघटक—

विद्यालय निम्नलिखित शुल्क संघटकों में से एक या समस्त संघटक समुच्चय को निर्धारित कर सकता है:—

(एक) विवरण पुस्तिका एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क—यह केवल छात्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय संदेय होगा;

(दो) प्रवेश शुल्क—विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम बार;

(तीन) परीक्षा शुल्क—परीक्षाओं के लिए संदेय होगा;

(चार) संयुक्त वार्षिक शुल्क—प्रतिवर्ष संदेय एकल शीर्षक वार्षिक आवर्ती शुल्क परन्तु इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर विभिन्न शीर्षकों के अधीन आवर्ती शुल्क प्रभारित करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आगामी शैक्षिक वर्ष से यथा उपबंधित रूप में ऐसे समस्त शीर्षकों को एकल आवर्ती शुल्क शीर्षक में सम्मिलित करने की अपेक्षा की जायेगी;

(ख) वैकल्पिक शुल्क संघटक:—

विद्यालय द्वारा उपबंधित वैकल्पिक क्रियाकलापों तथा सुविधाओं हेतु संदेय विभिन्न शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(एक) परिवहन;

- (दो) बोर्डिंग ;
 (तीन) मेस या डाइनिंग;
 (चार) शैक्षिक भ्रमण;
 (पाँच) कोई समान क्रियाकलाप;

(ग) प्रतिदेय प्रभार:-

प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के समय समस्त लागू देयों का समाशोधन करने पर छात्रों को वापस की जायेगी परन्तु ऐसी प्रतिभूति/अवधान धनराशि विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय एक बार शुल्क के रूप में होगी और संयुक्त वार्षिक शुल्क के पचास प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, विद्यालय में जमा अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता में प्रचलित दर पर ब्याज सहित वापस की जायेगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विद्यालय द्वारा वापस की जायेगी;

(4) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को, आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा;

(5) ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षिक वर्ष प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व, किन्तु आगामी शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के साठ दिन के अपश्चात् अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित भी करेगा, तथापि वर्तमान वर्ष में उक्त अध्यादेश के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर अपलोड/ प्रकाशित किया जायेगा;

(6) फीस का विवरण प्रकाशित किये जाने के समय उक्त विद्यालय यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि संदाय मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जायेगा परन्तु कोई विद्यालय यह एकमात्र व्यवस्था नहीं करेगा कि शुल्क का संदाय वार्षिक आधार पर किया जाय;

(7) कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, शैक्षणिक सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा;

(8) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कोई कैपिटेशन शुल्क प्रभारित न किया जाय;

(9) छात्र से उद्ग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी;

(10) किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा;

(11) विद्यालय द्वारा पाँच निरन्तर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, यदि परिवर्तन अपेक्षित हो तो इसमें परिवर्तन मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ किया जा सकता है।

4-(1) विद्यमान छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क वृद्धि- कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने विद्यमान छात्रों के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारिवर्ग के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/कक्षा/स्तर के लिये स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है, परन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रकाशित बढी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्र से वसूल किये गये पाँच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-प्रवेश के समय, वर्ग/कक्षा, जिसमें छात्र विद्यालय में प्रवेश ले रहा हो, पर ध्यान दिये बिना विद्यालय अभिभावक को नये छात्रों हेतु उस विशिष्ट वर्ष के लिए लागू समस्त वर्ग/कक्षावार कक्षा-बारह तक की पूर्ण शुल्क संरचना उपलब्ध करायेगा। यह शुल्क संरचना आगामी वर्ग/कक्षा हेतु छात्रों के लिए लागू शुल्क का अवधारण करने के लिए प्रत्येक वर्ग/कक्षा हेतु चक्रवृद्धि आधार पर अनुवर्ती वार्षिक अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की संगणना का आधार हो जायेगी, परन्तु वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किये जाने पर किसी नये उपकर के उद्ग्रहण की दशा में इसमें मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ उस उपकर/वेतन आयोग के प्रभाव की सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है।

शुल्क निर्धारण

पूर्ववर्ती प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए प्रथम वर्ष 2018-19 हेतु अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की गणना वर्ष 2015-16 की शुल्क संरचना को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उप-धारा (1) के अनुसार की जायेगी, अर्थात्, वर्ष 2015-16 हेतु शुल्क संरचना को ग्रहण करते हुए वर्ष 2018-19 हेतु शुल्क संरचना की गणना उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की जायेगी। वर्ष 2018-19 हेतु नियत किया जाने वाला शुल्क आधार वर्ष 2015-16 को ग्रहण करते हुए संगणित शुल्क और 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उस पर आधारित शुल्क की संगणना तथा उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार संगणना में से निम्नतर होगा;

(2) नये छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क निर्धारण-विद्यालय, सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन किसी विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा/वर्ग/स्तर में नया प्रवेश चाहने वाले नये छात्रों के लिए अपना शुल्क अवधारित करेगा। इन छात्रों के लिए अनुवर्ती वर्षों में शुल्क वृद्धि उपधारा (1) के अनुसार की जायेगी।

आय

5-(1) छात्रों से प्रभारित समस्त शुल्क;

(2) विद्यालय परिसर में वाणिज्यिक क्रियाकलाप से होने वाली आय, यदि कोई हो, आय मानी जायेगी और विद्यालय के खाते में जमा की जायेगी न कि पात्र शैक्षिक इकाई के खाते में जमा की जायेगी।

विकास निधि

6-(1) वित्तीय वर्ष में विद्यालय की कुल आय की अनधिक पन्द्रह प्रतिशत धनराशि पात्र शैक्षिक इकाई को विकास निधि के रूप में अन्तर्गत की जा सकती है, तथापि जिस वर्ष विद्यालय द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की अनुज्ञा से अनुज्ञात शुल्क से अधिक शुल्क वृद्धि की जाय, उस वर्ष ऐसा अन्तरण अनुमन्य नहीं होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा विकास निधि का उपयोग विद्यालय के संचालन अथवा विद्यालय या उस इकाई के अधीन अन्य विद्यालयों के शैक्षिक विकास के लिए किया जायेगा। विकास निधि का उपयोग किसी वाणिज्यिक क्रिया कलाप के लिए नहीं किया जायेगा।

प्रवेश के समय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रकटीकरण

7-(1) विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व, अपने सूचनापट्ट पर वेबसाइट यदि कोई हो, प्रकाशित करेगा और निम्नलिखित विवरण और विवरण पुस्तिका छात्रों को प्रवेश पत्र सहित उपलब्ध करायी जायेगी :-

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय के संबंध में सामान्य जानकारी, प्रत्यायन एवं सम्बद्धता;

(ख) प्रवेश नीति;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं निधि संरचना का विवरण;

(घ) छात्रावास, खेल, पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों और अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों सहित सुविधाओं का विवरण;

(ङ.) विद्यार्थी स्थान अनुपात एवं विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का विवरण;

(च) अध्यापकों की अर्हताओं का विवरण;

(छ) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों हेतु सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेंडर;

(ज) मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण और कर्मचारिवर्ग विकास कार्यक्रम, सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेंडर;

(2) जब तक कि इस अध्यादेश या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उपधारा (1) के अधीन प्रकट की गयी सूचना सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए लोक क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी।

8-(1) राज्य के प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय शुल्क नियामक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा -

मण्डलीय शुल्क नियामक समिति, उसका गठन, कृत्य और शक्ति

- | | |
|--|-------------------|
| (क) मण्डलीय आयुक्त | -अध्यक्ष |
| (ख) मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट | -सदस्य |
| (ग) मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से अन्यून स्तर का कोई अभियन्ता | -सदस्य (पदेन) |
| (घ) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी | -सदस्य (पदेन) |
| (ङ.) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट मण्डल में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन का अभिभावक | -सदस्य |
| (च) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय का कोई विख्यात प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रशासक | -सदस्य |
| (छ) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक | सदस्य-सचिव (पदेन) |

(2) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की अधिकारिता सम्बन्धित मण्डल में स्थित शैक्षिक इकाई स्तर पर होगी;

(3) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ङ) एवं (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष के लिए होगी। यदि किसी कारण से सदस्यों की रिक्ति पदावधि से पूर्व होती है तो ऐसी रिक्ति ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए ही भरी जायेगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

(4) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अध्यादेश के अधीन पन्द्रह दिनों के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती है:-

(एक) धारा 4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना;

(दो) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क नियत करना;

(तीन) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना; और

(चार) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना;

(पाँच) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि कय करने की मजबूरी को नियत करना;

(छ) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पाँच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन;

8-(1) राज्य के प्रत्येक मण्डल में मण्डलीय शुल्क नियामक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा -

मण्डलीय शुल्क नियामक समिति, उसका गठन, कृत्य और शक्ति

- | | |
|--|-------------------|
| (क) मण्डलीय आयुक्त | -अध्यक्ष |
| (ख) मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट | -सदस्य |
| (ग) मण्डलीय आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से अन्यून स्तर का कोई अभियन्ता | -सदस्य (पदेन) |
| (घ) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी | -सदस्य (पदेन) |
| (ङ.) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट मण्डल में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन का अभिभावक | -सदस्य |
| (च) मण्डल आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय का कोई विख्यात प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रशासक | -सदस्य |
| (छ) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक | सदस्य-सचिव (पदेन) |

(2) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की अधिकारिता सम्बन्धित मण्डल में स्थित शैक्षिक इकाई स्तर पर होगी;

(3) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ङ) एवं (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष के लिए होगी। यदि किसी कारण से सदस्यों की रिक्ति पदावधि से पूर्व होती है तो ऐसी रिक्ति ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए ही भरी जायेगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

(4) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अध्यादेश के अधीन पन्द्रह दिनों के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती है:-

(एक) धारा 4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना;

(दो) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क नियत करना;

(तीन) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना; और

(चार) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना;

(पाँच) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि कय करने की मजबूरी को नियत करना;

(छ:) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पाँच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन;

(सात) धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित प्रकटीकरण न किये जाने को नियत करना;

(आठ) धारा 3 (तीन) ग में किये गये उपबन्ध के उल्लंघन के पश्चात् प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि का प्रतिदाय न किये जाने को नियत करना;

(नौ) धारा 6 (दो) के अधीन उल्लंघन को नियत करना;

(5) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय ;

(6) इस अध्यादेश के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के पास किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों का निस्तारण करने के संबंध में दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थिति को प्रवर्तित करना तथा शपथपूर्वक उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का खोज करना और उसे प्रस्तुत करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) साक्षी की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना;

(7) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की बैठक की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्यों और अध्यक्ष की संख्या के पचास प्रतिशत से होगी; जबतक गणपूर्ति न हो तब तक मण्डलीय शुल्क नियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा;

(8) अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक, वृद्धि करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व समुचित दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित शुल्क विवरण से समाविष्ट प्रस्ताव, ऐसी वृद्धि की आवश्यकता को न्याय संगत सिद्ध करते हुए मण्डलीय शुल्क नियामक समिति को प्रस्तुत करेगा;

(9) मण्डलीय शुल्क नियामक समिति मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा दिये गये प्रस्तावों और कारणों पर विचार करके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगी या उतना प्रतिशत शुल्क वृद्धि विहित करेगी, जितना की वह उचित समझे, जो धारा 4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से कम न हो, ऐसा आदेश लिखित में होगा और प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर मान्यता प्राप्त विद्यालय को दिया जायेगा। मण्डलीय शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित आदेश उस शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए ऐसा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि वांछित हो, के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय पर बाध्यकारी होगा;

(10) किसी छात्र या संरक्षकों या अभिभावक एसोसिएशन से शिकायत, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने पर मण्डलीय शुल्क नियामक समिति सम्यक रूप से जाँच करने के पश्चात् और समाधान कर लेने के पश्चात् निम्नानुसार शिकायत का निस्तारण कर सकती है:-

(क) अध्यादेश के उपबन्धों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छात्र से अधिसूचित शुल्क से अधिक उद्ग्रहीत शुल्क वापस करने के साथ-साथ एक लाख रुपये तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ख) अध्यादेश के उपबन्धों का दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर उद्ग्रहीत अधिक शुल्क वापसी के साथ पाँच लाख रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ग) अध्यादेश के उपबन्धों का तीसरी बार उल्लंघन किये जाने पर ऐसी कतिपय अवधि, जैसाकि उसके द्वारा विनिश्चित किया जाय, के लिए विकास निधि की अनुमति वापस लिये जाने के अतिरिक्त संबंधित परिषद् की मान्यता/संबद्धता वापस लिये जाने हेतु संस्तुति कर सकती है;

(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के विनिश्चयन से व्यथित हो, वहाँ वह ऐसे विनिश्चयन के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथाविहित रीति से अपील धारा 9 में निर्दिष्ट राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण को कर सकता है।

9-(1) एक राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण होगा,

राज्य
स्ववित्तपोषित
स्वतंत्र विद्यालय
अपील प्राधिकरण

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा किसी पृथक प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय।

(3) अपील प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय-तीन

प्रकीर्ण

10-(1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को लेखा पुस्तिकाओं का समुचित अनुरक्षण लेखा अनुरक्षण करना होगा।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को सुसंगत लेखा मानकों और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार लेखा अनुरक्षित करना होगा।

11-किसी सिविल न्यायालय के पास किसी ऐसे प्रश्न का निस्तारण करने, उसका विनिश्चय करने या उसे व्यवहृत करने या ऐसे किसी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन मण्डलीय शुल्क नियामक समिति या राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण या समुचित प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन नियुक्त या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाना, विनिश्चित किया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो और इस अध्यादेश द्वारा या तदधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं प्रदान किया जायेगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

12-(क) सरकार समुचित प्राधिकारी या इस अध्यादेश या तदधीन विहित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी;

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

(ख) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना को जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

13-राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

14-(1) यदि इस अध्यादेश के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयाँ दूर करने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

15-इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत राज्य सरकार द्वारा पहले से बनाई गई किसी विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, असंगत होने की सीमा तक शून्य रहेगी।

इस अध्यादेश के अध्यारोही प्रभाव

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 861(2)/LXXIX-V-1-18-2(ka)6-2018

Dated Lucknow, April 9, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Swavittaposhit Swantantra Vidyalaya (Shulk Nirdharan) Adhyadesh, 2018 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2018) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH SELF-FINANCED INDEPENDENT SCHOOLS (FIXATION OF FEES) ORDINANCE, 2018

(U.P. ORDINANCE NO. 6 OF 2018)

[Promulgated by the Governor in the Sixty ninth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for fixation of fees in self-financed independent schools in the State of Uttar Pradesh and the matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent,
application and
commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Self Financed Independent Schools (Fixation of Fees) Ordinance, 2018;

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh;

(3) It applies to all Self-Financed Independent Schools of Pre-Primary, Primary, Upper Primary, High School and Intermediate Colleges granted recognition/affiliation by boards defined under clause(d) of section 2 by Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad, Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh, Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council of Secondary Education (ICSE), International Baccalaureate (IB) and International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), or any other Board notified by the Government from time to time in which total payable possible fee of any student is more than Rupees Twenty Thousand per annum;

It shall also be applicable to Minority Institutions recognised/affiliated by any of the said boards;

It shall not be applicable to independent Pre-Primary Schools;

(4) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,--

(a) "Affiliation" means enrolment of a recognised school among the list of approved schools of a Board for the prescribed/approved courses of studies upto classes V, VIII, X and/or XII as well as those preparing students according to prescribed courses for the Boards' examinations;

(b) "Academic Year" means commencement and end of academic session specified by the respective boards;

(c) "Appropriate Authority" means the Divisional Fee Regulatory Committee constituted under section 8;

(d) "Board" means Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad, Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh, Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian Council of Secondary

Education (ICSE), International Baccalaureate (IB), International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) or any other Board notified by the Government from time to time;

(e) "District Inspector of Schools" means an officer appointed in each district of the State in such manner as may be prescribed or any other officer authorised by the Government to exercise the powers and perform the functions of District Inspector of Schools of Secondary Education;

(f) "Divisional Fee Regulatory Committee" means the Divisional Fee Regulatory Committee constituted under section 8;

(g) "Educational Purposes" means any educational activity undertaken by a recognised school, *inter alia*, including, creation of courses/curriculum, patents, research and development activities, teacher training programmes, staff development programmes, up-gradation of technology, vocational training, co-curricular activities and sports related infrastructure and equipment and establishment of a new branch or a new school;

(h) "Eligible Educational Entity" means any society registered under the Societies Registration Act, 1860, or public trusts or trusts created under the Indian Trusts Act, 1882, or companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956, or any other entity permitted by any of the Boards which operates, manages and maintains recognised schools in the State;

(i) "Government" means the Government of the State of Uttar Pradesh;

(j) "Guardian" means a parent or a person whose name is registered in school as guardian by the parent of a student;

(k) "Head of the School" means the principal or as may be called by any other name of a recognised school designated by the eligible educational entity to manage the administration and academic affairs of the recognised school, as the case may be;

(l) "Joint Director of Education" means divisional level officer of Education Department of the Government;

(m) "Local Authority" means a local area notified by a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or a Zila Panchayat having jurisdiction over that local area;

(n) "Management Committee" means a management committee by whatever name called, of a school to which the affairs of the school are entrusted and, a person, by whatever name or designation called, where such affairs are entrusted to such person and shall also include trust or company associated with the school in any manner whatsoever;

(o) "Minority Educational Institution" means an institution established and administered by a minority, whether based on religion or language, having the right to do so under clause (1) of Article 30 of the Constitution of India;

(p) "Parent-Teachers-Association" means Parent-Teachers-Association framed under Parent-Teachers-Association Regulations, 1986 for the schools recognised by Board of Secondary Education, Uttar Pradesh and for the other boards Parent-Teachers-Association as constituted by the school with parent and teachers of the school;

(q) "Permitted fee increase" means the increase in fee permitted under section 4;

(r) "P.W.D." means Public Works Department of the Government;

(s) "Recognised School" means a school recognised by a Board for operation in the State;

(t) "Recognition" means formal certification granted by a Board for operation in the State to a school that it conforms to the standards and conditions laid down by the Government to operate a school;

(u) "Self Financed Independent School" means an institution imparting education wherein major expenses of the institution, for any purpose whatsoever, are to be met by the management of such institution itself and/or out of the school funds /revenue or through contributions, loans borrowings including loans obtained by creation of any encumbrances on School property;

(v) "School" includes:-

(i) Pre-primary school imparting education below the primary stage such as nursery and kindergarten; or

(ii) Primary school imparting education from classes I to V (both inclusive); or

(iii) Upper primary imparting education from classes VI to VIII (both inclusive); or

(iv) High school imparting education to classes IX and X; or

(v) Intermediate college imparting education to classes XI and XII;

managed by an eligible educational entity and affiliated to a Board as a self-financed independent school:

Provided that where such school operates on a standalone basis as a pre-primary school imparting education below the primary stage, it shall not come under the purview of this Ordinance;

(w) "School Property" means all movable and immovable property, tangible or intangible, belonging to, or in the possession of, the recognised school or the eligible educational entity within the school campus and/or related to the concerned recognised school and all other rights and interests in, or arising out of, such property, and includes land, building and its appurtenances, play grounds, hostels, furniture, books, apparatus, maps, intellectual property, equipment, utensils, cash, reserve funds, investments and bank balances;

(x) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(y) "State Appellate Authority of Self-Financed Independent Schools" means State Self-Financed Independent Schools Authority constituted under section 9.

CHAPTER II

ADMISSION TO SCHOOLS AND FEES

Fee and fund

3. (1) A recognised School shall determine its fee structure under sub-sections (1) and (2) of section 4 for different classes/grades/school levels commensurate to, *inter alia*, meeting its operational expenses, **providing for** augmentation of facilities and expansion of infrastructure and for **providing facilities** to the students, to generate reasonable surplus to be utilised for **development of** educational purposes including establishment of a new branch or a new school under the management of the same eligible educational entity.

(2) The procedure for collecting fees in a school shall be open, **transparent** and accountable;

(3) The fees to be charged shall be classified as:-

(a) Possible Fee Components- The school may fix any combination of one or all of the following fee components:-

(i) Prospectus and Registration fee- It shall be payable only at the time of registration by the student;

(ii) Admission fee: At the first time of new admission to the school;

(iii) Examination fee: shall be payable for examinations;

(iv) Composite Annual Fee: Single head annual recurring fee payable each year. Provided that, upon commencement of this Ordinance, any recognised school charging recurring fee under different heads, shall, from the ensuing academic year, be required to club all such heads into a single head recurring fee as provided.;

(b) Optional Fee Components: Various fee payable for optional activities and facilities provided by the school, including:-

(i) transport;

(ii) boarding;

(iii) mess or dining;

(iv) excursions;

(v) any other similar activity;

(c) Refundable Charge-Security money/caution money shall be returned to the students on clearing all applicable dues at the time of leaving the school by the student, provided that the amount of such Security/Caution Money shall be one time fee at the stage of new admission in the school and shall not be more than fifty percent of composite annual fee. Security money/caution money will be refunded with interest for the duration of the deposit with the school, at prevalent rate of State Bank of India saving account. Security money/caution money shall be refunded by the school within thirty days from the issuing date of transfer certificate through e-payment.

(4) Head of the school of every recognised school shall, before the commencement of each academic year, file with the appropriate authority, a full statement of the fees to be levied by such school during the ensuing academic year.

(5) Such school shall upload the statement of fee on its website sixty days prior to commencement of each academic year, and also publish on notice-board. However in the present year it shall be within thirty days of coming into force of this Ordinance.

(6) While publishing the statement of fees, the school shall also specify whether the payment is to be made in monthly or quarterly or half-yearly instalments. Provided that no school shall solely provide that the fee be paid on annual basis.

(7) No school shall, except with the prior approval of the appropriate authority, charge, during the academic year, any fee in excess of the fee intimated to the appropriate authority under sub-section (4).

(8) Every recognised school shall ensure that no capitation fee is charged.

(9) Receipt shall be issued for every fee or charge levied on the student.

(10) No student shall be compelled to purchase books, shoes, socks and uniform etc. from a particular shop.

(11) School dress shall not be changed by school within five consecutive academic years. If change is required, it can be changed with proper justification with prior approval of Divisional Fee Regulatory Committee.

4. (1) Permitted fee increase for existing students- A recognised school may revise its fee annually for its existing students by itself for each grade/class/level of school equivalent to average percentage per capita increase of monthly salary of teaching staff of previous year provided fee increase shall not exceed latest available yearly percentage increase in consumer price index + five percent of the fee realised from the student.

Explanation: At the time of admission, irrespective of the grade/class in which a student is entering the school, the school shall provide to the guardian, the complete fee structure for all grade/class upto grade/class XII applicable to new

Fixation of fee

students for that particular year. This fee structure shall become the base for calculating subsequent annual permitted fee increase on compounding basis for each grade/class to determine the fee applicable to the students for future grade/class:

Provided that, in case of the implementation of the pay commission reports, levy of any new cess, it may be changed with proper justification with prior approval of Divisional Fee Regulatory Committee upto the level of impact of that cess/pay commission.

For the previously admitted students, computation of Permitted Fee Increase for the first year 2018-19 in accordance with sub-section (1) shall be calculated taking fee structure of 2015-16 as the base year, *i.e.*, taking the fee structure for the year 2015-16 the fee structure for the year 2018-19 shall be computed as per the provision of sub-section (1). The fee to be fixed for year 2018-19 shall be the lower of the fee computed taking base year 2015-16 and computations of fee based on taking 2017-18 as base year and calculated as per provision of sub-section (1).

(2) Permitted fee fixation for new student- The school shall be free to determine its fee for the new students for any class/grade/level seeking fresh admissions, in a particular academic year subject to guidelines, if any, notified by the Government. Increase in fee for subsequent years for these students shall be in accordance with sub-section (1).

Income

5. (1) All the fee charged from the students.

(2) Income from commercial activity in the premise of the school, if any, shall be considered income and shall be deposited to the account of the school and not to the account of the eligible educational entity.

Development Fund

6. (1) Not more than fifteen percent of total income of school during the financial year may be transferred to Eligible Educational Entity as development fund, however, for the year when school enhances the fees more than fees permitted under sub-section (1) of section 4 with permission of Divisional Fee Regulatory Committee during that year such transfer shall not be admissible.

(2) The development fund referred to in sub-section (1) shall be utilized by an eligible educational entity for operation of school or educational development of school or other schools under that entity. Development fund shall not be utilized for any commercial activity.

Disclosures to be made by recognised schools at the time of admission

7. (1) A School shall, sixty days prior to commencement of admissions in each academic year, publish on its notice board, website, if any, and the following details and a prospectus shall be provided to a student along with the admission form:-

(a) general information about the recognised school, accreditation, and affiliation;

(b) admission policy;

(c) details of the fee and fund structure for the previous year, current year and the ensuing year;

(d) details of facilities including hostel, sports, co-curricular activities and extra-curricular activities;

(e) details of student to space ratio and student to teacher ratio;

(f) details of the qualifications of the teachers;

(g) calendar of major events being organised by the recognised school throughout the academic year for students; and

(h) calendar of major events being organised by the recognised school throughout the academic year for teacher training and staff development programmes.

(2) Unless otherwise specified under this Ordinance or the rules made there under and the information disclosed in sub-section (1) shall remain in the public domain for the entire academic year.

8. (1) There shall be constituted in every division of the State a Divisional Fee Regulatory Committee consisting of:-

Divisional Fee Regulatory Committee, its constitution, functions and power

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (a) the Divisional Commissioner | -Chairperson |
| (b) a chartered accountant to be nominated by the Divisional Commissioner | - Member |
| (c) an engineer, not below the rank of Superintendent Engineer of P.W.D., nominated by the Divisional Commissioner | - Member
(ex-officio) |
| (d) a senior officer of State Finance and Accounts Service nominated by the Divisional Commissioner | - Member
(ex-officio) |
| (e) a parent of Parent Teachers' Association of a School situated in the division, nominated by the Divisional Commissioner | - Member |
| (f) an eminent principal/manager/ administrator of a self-financed school, nominated by the Divisional Commissioner | - Member |
| (g) the Divisional Joint Director of Education | -Member Secretary
(ex-officio) |

(2) The jurisdiction of the Divisional Fee Regulatory Committee shall be at the level of educational entity, situated in respective division.

(3) The term of office of members mentioned in clauses (b),(e) and (f) of sub-section (1) of the Divisional Fee Regulatory Committee shall be two years from the date of their nomination. In case of vacancy of a member arising earlier for any reason, such vacancy shall be filled for the remaining period of the term of such member. The removal of the nominated member shall be in such manner as may be prescribed.

(4) The Divisional Fee Regulatory Committee shall have power to:-

(a) take decisions on proposals received from the managing committee regarding the proposed fee increase beyond the permitted fee increase under sub-section (1) of section 4;

(b) hear complaint of a student or guardian or parent association whose complaint remains unheard by the Head of the School within fifteen days under this Ordinance:-

(i) made for fee being charged in excess of the fee intimated to the appropriate authority under section 4;

(ii) made for capitation fee being charged;

(iii) made for revision of fee during ensuing academic year; and

(iv) made for increase in fee more than the permitted fee increase without obtaining approval of the appropriate authority;

(v) made for-compulsion to purchase books, shoes, socks and uniform, etc. from a particular shop;

(vi) change of school dress within five years, without prior approval of Divisional fee regulatory committee;

(vii) made for not making disclosure as provided under section 7;

(viii) made for non refunding of security money/caution money after violation of provision made in clause (c) of sub-section (3) of section 3;

(ix) made for violation of section 6.

(5) The procedure to be followed by the Divisional Fee Regulatory Committee shall be such as may be prescribed.

(6) For the purpose of making any inquiry under this Ordinance, the Divisional Fee Regulatory Committee shall have powers of a civil court and appellate court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

- (a) the summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) the discovery and production of any document;
- (c) receiving of evidence on affidavits; and
- (d) the issue of commission for the examination of the witness.

(7) The quorum of a meeting of the Divisional Fee Regulatory Committee shall be fifty per cent of the members of its total strength of members and the Chairman. No order shall be passed by the Divisional Fee Regulatory Committee unless there is a quorum.

(8) Every recognised school, which proposes to increase its fee beyond the permitted fee increase shall, at least three months before the commencement of the academic session, submit a proposal containing the details of the proposed fee with appropriate documents, justifying the need for such increase to the Divisional Fee Regulatory Committee.

(9) The Divisional Fee Regulatory Committee shall, upon considering the proposal and the reasons given by the recognised school, accept or reject the proposal or prescribe such percentage increase in fees as it may deem fit, not being less than the permitted fee increase under section 4. Such order shall be in writing and be given to the recognised school within a period of ninety days of receipt of the proposal. The order passed by the Divisional Fee Regulatory Committee shall be binding on the recognised school for the academic year for which such proposed fee increase is sought.

(10) On receipt of complaint, if any, from a student or guardians or parents' association, the Divisional Fee Regulatory Committee, after making due inquiry and after being satisfied, may dispose of the complaint as follows:-

- (a) in case of contravention of the provisions of this Ordinance for first time, may impose financial punishment up to Rs. one lakh, with refunding of excess fee levied, from a student to the notified fee;
- (b) contravention of the provisions of this Ordinance for second time, may impose financial punishment of Rs. five lakh, with refunding of excess fee levied;
- (c) contravention of the provisions of this Ordinance for third time, may recommend for withdrawal of recognition/affiliation to concerned Board, in addition to the withdrawal of permission of developmental fund for a certain period as may be decided by it.

(11) Where the recognised school or any person is aggrieved by the decision of the Divisional Fee Regulatory Committee, it may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal, in such manner as may be prescribed to the State Self Finance Independent School Appellate Authority referred to in section 9.

9. (1) There shall be a State Self Finance Independent School Appellate Authority.

(2) An Appellate Authority, provided in section 11 of the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutes (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006, shall function as State Self Finance Independent School Appellate Authority for the purpose of this Ordinance unless a Separate Authority is constituted by the Government by notification in the *Gazette*.

(3) The Appellate Authority shall have all powers of civil court as well as appellate court provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) while hearing appeal. The decision passed by the State Self Finance Independent School Appellate Authority shall be final.

CHAPTER III
MISCELLANEOUS

10. (1) A recognised school shall maintain proper books of accounts.

Maintenance of
accounts

(2) A recognised school shall maintain the accounts in accordance with relevant accounting standards and generally accepted accounting principles.

11. No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter, which by or under this Ordinance required to be settled, decided or determined by the Divisional Fee Regulatory Committee or the State Self Financed Independent School Appellate Authority or appropriate authority or any other officer or authority appointed or specified by or under this Ordinance, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything done or intended to be done in pursuance of any power conferred by or under this Ordinance.

Jurisdiction of
civil courts barred

12. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, appropriate authority or any other person authorised by the Government or appropriate authority for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Ordinance or any rule prescribed thereunder.

Protection of
action taken in
good faith

13. The Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out of the purposes of this Ordinance.

Power to make
rules

14. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the *Gazette*, make provision not inconsistent with the provisions of this Ordinance, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Power to remove
difficulties

Provided that no order under this sub-section shall be made after two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

15. Any law, rules, regulation or notification already made by the Government inconsistent with the provisions of this Ordinance shall be void to the extent of inconsistency.

Over riding
effects of this
Ordinance

RAM NAIK.
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 राजपत्र-2018-(29)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० विधायी-2018-(30)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।